

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जौ इस हुकम की तामील में जारी किए
01/11/21	<p>तहसीलदार भू.अ./नायब तहसीलदार..... समजा</p> <p>रायसिंहनगर के पत्रांक/भू.अ./प्र.गां.सं.अ./2021/532..</p> <p>दिनांक 01/11/21 के द्वारा प्रशासन गांवों के संग</p> <p>अभियान-2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत..... 43 P.S.</p> <p>में प्रार्थी के नाम चक 43 P.S. की जमाबंदी सम्वत्</p> <p>2073-2076 के खाता सं. 20/75 में</p> <p>गुरदीप पालि रेशम सिंह सा. 43 P.S.</p> <p>के स्थान पर गुरदीप कोट उर्फ दीपेवर्त पालि</p> <p>रेशम सिंह</p> <p>की दुरुस्ती किये जाने की अनुशंषा की हैं।</p> <p>प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मजमा-ए-आम कैम्प</p> <p>कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार</p> <p>दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति</p> <p>जाहिर नहीं की गयी हैं। अतः तहसीलदार/नायब</p> <p>तहसीलदार..... समजा रायसिंहनगर की अनुशंषा</p> <p>के आधार पर वाके चक 43 P.S. तहसील</p> <p>रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्वत् 2073-2076</p> <p>के खाता सं. 20/75 में</p> <p>गुरदीप पालि रेशम सिंह सा. 43 P.S.</p> <p>के स्थान पर</p> <p>गुरदीप कोट उर्फ दीपेवर्त पालि रेशम</p> <p>रिह</p> <p>की दुरुस्ती करने</p> <p>के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तूर रहेगा। इसी</p> <p>अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय</p> <p>का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो।</p> <p>पत्रावली फौसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p> <p>आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया।</p>	

(अर्पिता सोनी)

उपखण्ड अधिकारी

रायसिंहनगर

कैम्प-43 P.S.

